(13)

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0

बी–912, सेक्टर–सी, महानगर, लखनऊ

पत्रांक 155 /योजना अनु0/2020–21 दिनांक 07/06/2021

CIN:U1532UP1992SGC004091

Website: www.upscfdc.hqup.in email:monitor.hq.upsfdc@gmail.com

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/
पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम
जनपद–आगरा, अलीगढ़, मेरठ, झाँसी, चित्रकूट, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन, मुरादाबाद, बस्ती, मिर्जापुर तथा सहारनपुर ।

विषयः–अनुसूचित जाति की उद्यमी महिलाओं हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय आटा/मसाला चक्की की योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से नई **"पंडित दीनदयाल उपाध्याय आटा /मसाला चक्की की योजना"** सीधे निगम के माध्यम से संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत भौतिक/वित्तीय लक्ष्य, लागत, पात्रता एवं चयन प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1–योजना की लागत तथा लक्ष्यः–

अनुसूचित जाति की उद्यमी महिलाओं हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय आटा/मसाला चक्की की योजना प्रदेश के 18 मण्डलीय मुख्यालयों के जनपदों में प्रति जनपद 125 महिलाओं हेतु कुल 2250 महिलाओं को उक्त योजना से आच्छादित किया जायेगा। योजना की इकाई लागत रू0 20,000.00 जिसमें रू0 10,000.00 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता से दी जायेगी। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम की अनुसूचित जाति की महिलाओं को योजना में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

2–पात्रताः–

- अनुसूचित जाति की महिला हो।
- गरीबी रेखा के नीचे निवास करती हो (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू. 46080/–वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम रू. 56460/– वार्षिक आय सीमा तक)।
- उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो एवं किसी भी योजना में प्राप्त किये गये ऋण का डिफाल्टर न हो।
- जाति, आय तथा निवास प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति सलग्न की जाये।
- ऋण आवेदन–पत्र पर आधार नम्बर अंकित किया जाय तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाय।

Scanned by CamScanner

(12)

3–चयन प्रक्रियाः–

लाभार्थी चयन हेतु जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाता है :–

1– मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम	सदस्य
3– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4– सहायक प्रबन्धक अनुगम	सदस्य/सचिव

उक्त समिति द्वारा चयनित पात्र महिला अभयर्थियों की अनुमोदित सूची धनावंटन हेतु प्राथमिकता पर निगम मुख्यालय उपलब्ध कराई जायेगी जिससे धनावंटन के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित कराये जाने में विलम्ब न हो।

4–योजना का क्रियान्वयन तथा वित्त पोषणः–

योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के केवल 18 मण्डलीय जनपद मुख्यालय के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित की जाएगी।

- चयन/ औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त रू0 100/– के सामान्य स्टाम्प पेपर पर लाभार्थी से अनुबन्ध–पत्र निष्पादित कराया जायेगा जिस पर लाभार्थी का फोटो चस्पा किया जायेगा जिसे जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, अनुगम द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- परियोजना स्वीकृति की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ऋण स्वीकृति पत्र लाभार्थी हेतु निर्गत किया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी द्वारा अपनी स्वेच्छा से ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित आई.एस.आई. मार्का आटा/मसाला चक्की के अधिकृत विक्रेता फर्म से कोटशन/न्यूनतम दर का प्रस्ताव प्राप्त कर जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जिला प्रबन्धक, अनुगम द्वारा लाभार्थी को परिसम्पत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित फर्म को प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को भी उपलब्ध करायी जायेगी ।
- प्राधिकार–पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा लाभार्थी को उपकरण उपलब्ध कराने एवं चलाने हेतु आवश्यक डेमो/प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- परिसम्पत्ति प्राप्त होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा संतोषजनक प्रमाण–पत्र के साथ बिल–बाउचर जिला प्रबन्धक, अनुगम कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।
- उक्त बिल की धनराशि का भुगतान जनपदीय कार्यालय, अनुगम द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया जायेगा। यदि निर्धारित परियोजना लागत से अधिक लागत का उपकरण कय किया जाता है तो उक्त अधिक धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10,000.00 जो भी कम हो अनुदान के रूप में अनुमन्य है शेष 50 प्रतिशत की धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

6– ऋण की अदायगीः–

लाभार्थियों से ऋण वितरण की तिथि से एक माह पश्चात ब्याजमुक्त ऋण धनराशि की वसूली 36 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। निर्धारित समयावधि में ऋणगृहीता द्वारा ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी न करने पर ऋणगृहीता से अवशेष ऋण पर राजस्व विभाग की भांति 10 प्रतिशत अथवा अनुमन्य संग्रह शुल्क सहित बकाया ऋण की वसूली की जायेगी।

Scanned by CamScanner

7– <u>वसूलीः–</u>

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक, अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोड़कर अन्य समस्त परिस्थितियों में ऋण एन0पी0ए0/दुरूपयोग होने पर ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक, अनुगम का होगा। लाभार्थी चयन में पूर्ण सर्तकता एवं पारदर्शिता सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा परियोजना स्थापित किये जाने के उपरान्त ऋण अवधि तक संचालित न करने अथवा विक्रय कर देने की स्थिति में शासकीय धनराशि के दुरूपयोग की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली भूराजस्व की भॉति की जा सकेगी।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र उद्यमी महिलाओं का चयन कर उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी से अनुमोदित कराकर धनावंटन हेतु निगम मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परियोजना के लिये वॉछित धनराशि जनपद से प्राप्त मॉगपत्र एवं सूची प्राप्त होते ही निगम मुख्यालय द्वारा आंवटित की जायेगी। इस पत्र के साथ आवेदन–पत्र का प्रारूप, स्वीकृति पत्र का प्रारूप, सहमति पत्र का प्रारूप, अधिकार पत्र, परिसम्पत्ति प्रदान करने एवं संतोषजनक प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति स्थापित कराये जाने सम्बन्धी प्रामण–पत्र का प्रारूप, धनराशि मॉग का प्रारूप, भौतिक लक्ष्य /वित्तीय लक्ष्य, अनुबन्ध–पत्र एवं दृष्टिबंधक पत्र तथा गारन्टी विलेख का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

भवदीय

31/5/21

(मोहम्मद शफकत कमाल)
प्रबन्ध निदेशक

<u>पृष्ठांकन संख्या ––––– तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3– समस्त मुख्यविकास अधिकारी उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।

(आर0पी0 सिंह)
महाप्रबन्धक

Scanned by CamScanner